Dattopant Thengadi Foundation

दिनांक: 17/01/2022

गिग-श्रमिकों का निरंतर विरोध-प्रदर्शन : एक आंतरिक दृष्टि

गिग कर्मी साल भर विभिन्न कंपनिओं/प्लेटफार्मों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण सुर्ख़ियों में रहे और इस विषय ने पूरे वर्ष बहुत ध्यान आकर्षित किया, किन्तु दिसंबर 2021 में अर्बन कंपनी के लगभग 50 गिग-कर्मचारी कंपनी के दिल्ली कार्यालय के बहार कमपनी द्वारा प्रस्तावित गलत नीतिगत बदलावों के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब कंपनी ने विरोध कर रहे समूह के नेताओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसके बाद प्रदर्शन को बंद कर दिया गया क्योंकि श्रमिकों को अदालत की लंबी प्रक्रियाओं से निपटने के दौरान आजीविका के अवसरों को खोने का डर था।

हालांकि गिग इकॉनमी अभी भी नीतिकारों और शिक्षाविदों; दोनों के लिए एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन मोटे तौर पर पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के बाहर काम करने वाले सभी लोग गिग-इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक सुरक्षा कोड - 2020 की परिभाषा अनुरूप "गिग कर्मी एक ऐसा व्यक्ति है जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के बाहर कार्य करता है" 1 यदि ईमानदारी से कहें तो गिग इकॉनमी महज अनौपचारिक अर्थव्यवस्था (इनफॉर्मल इकॉनमी) है (नीचे ग्राफ देखें) लेकिन वर्तमान में हम जिस चीज को लेकर सर्वाधिक चिंतित हैं, और चर्चा करते हैं, वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मध्यस्थता वाले गिग हैं जो पैसे या अन्य लाभों के बदले किए जाते हैं। ऐसे कर्मियों की संख्या वर्तमान में भारत में 1.5 करोड़ से अधिक है ।

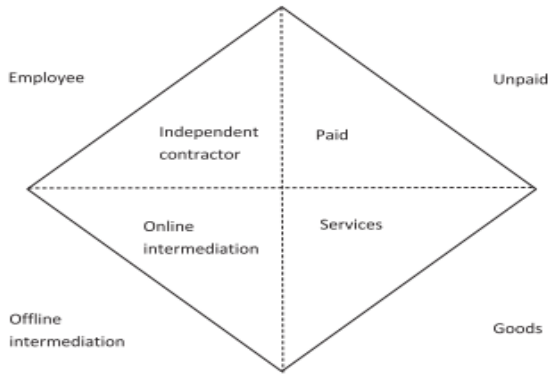

चित्र 1: गिग इकॉनमी के आयाम (कॉट्सिम्पोगिर्गोस एट अल।)

वर्तमान में गिग श्रमिकों को किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना या बीमा द्वारा कवर नहीं किया जाता है और यदि मीडिया रिपोर्टों और विभिन्न यूनियनों द्वारा किए गए अध्ययनों पर विश्वास किया जाए तो उनकी स्थिति दयनीय है । UBER और UBER OLA दोनों के ऑनलाइन कैब कंपनियों के ड्राइवरों के एक बड़े तबके ने दिन में 16-20 घंटे काम करने की जानकारी दी । Zomato और Swiggy डिलीवरी 'पार्टनर' ने इसी तरह के शोषण की जानकारी दी । वो अभूतपूर्व वेतन-कटौती, लंबे 'प्रतीक्षा-समय' और कम प्रोत्साहन राशि आवंटन को लेकर भी चिंतित दिखते हैं। अर्बन कंपनी 'पार्टनर्स' ने कंपनी के गिग-वर्कर्स के खिलाफ अधिकारियों द्वारा मनमानी कार्रवाई की सूचना दी है, जैसी की हाल ही में इन 'भागीदारों' को उनके भुगतान राशि से ग्राहकों को 10% छूट की पेशकश करने के लिए कहा गया ।

ये कर्मचारी लंबे समय से इन कंपनियों की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन नए विकास के आलोक में दिसंबर विशेष रूप से महत्वपूर्ण महीना था क्योंकि अर्बन कंपनी ने विरोध-प्रदर्शन कर रहे अपने वाले 'पार्टनर' (साझेदारों) के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। यह देश में पहली ऐसी प्रतिक्रिया थी। ऐसी कंपनियों के विरुद्ध विश्व भर के विभिन्न देशों में श्रमिक संघों ने अदालतों की और रुख किया है और कई देशों में कानूनी प्रक्रिया के उपरांत इन श्रमिकों को कर्मचारियों के रूप में अपनाने और उसी अनुरूप व्यवहार करने के लिए सख्ती से आदेश दिया है, जबकि कई अन्य देशों में मामला अभी भी विचाराधीन है। भारत में, और अन्य देशों में भी इन कंपनियों ने बहुत ही साफ़ शब्दों में कहा है कि ये कर्मी उनके कर्मचारी नहीं अपितु 'पार्टनर' हैं, जो की एक झांसा देने वाली व्यवस्था है । इन 'पार्टनर्स' को श्रमिकों के रूप में स्वीकार करने से इन कंपनियों को मुनाफे का नुकसान हो सकता है क्योंकि श्रमिकों के पास न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा लाभों के कानूनी अधिकार होते हैं, जिन्हें कंपनी द्वारा इन 'भागीदारों' को श्रमिकों के रूप में स्वीकार करने के बाद कंपनी की किटी से भुगतान करने की आवश्यकता होगी, लेकिन कंपनी अक्सर यह भूल जाते हैं कि ये 'साझेदार' ही कंपनी के लिए मुनाफा कमाने वाले हैं, चाहे कंपनी की स्थापना का विचार कितना शानदार रहा और आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन श्रमिकों के लिए प्रोत्साहन की अल्पता और उनके साथ अमानवीय व्यवहार ने निश्चित रूप से इन 'पार्टनर्स' के बीच असंतोष की सर्दी पैदा कर दी है।

असंतोष का एक अन्य बिंदु इन पार्टनर्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फायरिंग/ब्लॉकिंग है, और शायद हम में से अधिकांश लोगों ने अनुभव किया होगा कि हमारे UBER ड्राइवरों/डिलीवरी कर्मियों ने विशेष रूप से हमें, उन्हें/उनके काम को ठीक से रेट करने के लिए कहा है, और इस तरह की रेटिंग के आधार पर इन पार्टनर्स को या तो काम की पेशकश की जाती है या उन्हें अवरुद्ध कर दिया जाता है लेकिन बेहतर रेटिंग का मतलब बेहतर कमाई/वेतन नहीं है अपितु काम करने के अधिक अवसरों की उपलब्धता है।

सामाजिक सुरक्षा कोड - 2020 में प्रस्ताव है कि जो कंपनियां गिग-कर्मियों की सेवाओं का लाभ लेती हैं, उन्हें अपने वार्षिक टर्नओवर का 1-2% या ऐसे श्रमिकों को दिए गए वेतन का 5%, जो भी कम हो, सरकार द्वारा प्रशासित सामाजिक सुरक्षा निधि के लिए आवंटित करना होगा। केंद्र और

राज्य सरकारें भी इस निधि में योगदान देंगी लेकिन कोड का कार्यान्वयन अभी भी लटका हुआ है। सरकार अभी भी नियम बनाने या शायद उसमें देरी करने में लगी हुई है। इतने लम्बे इंतज़ार में गिग-कर्मियों का धैर्य खत्म हो रहा है और उन्होंने एक बड़े प्रदर्शन की धमकी दी है, जो उनकी संख्या और उनके तेज़ तेज-तरार तकनीक-सम्मत व्यव्हार को देखते हुए संभव भी है।

हमारे प्रकाशन:

1) Democracy, Capitalism, Labour Movement: In Quest of Decent Work: https://www.suruchiprakashan.com/democracy-capitalism-labour-movement

2) Decent Wage : It's not Just About Workers : https://www.suruchiprakashan.com/decent-wage

3) Industry 4.0 and the Future of Work(er) : https://www.suruchiprakashan.com/industry-4-0-and-the-future-of-work-er